# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 21/2016

दायर दिनांक – 10.11.2014

निर्णय दिनांक – 06.10.2021

जीसीएमएस नं0 –2016/00013

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| 1. श्री नेमीचन्द भाटी पुत्र नाथूलाल भाटी जाति माली निवासी कड़ैल तहसील पुष्कर जिला अजमेर। | | 1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर। |

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री भरत गुर्जर, अधि0, प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

## –: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131 सपठित धारा–136 राजस्थान भू–राजस[illegible]यम, 1956 के तहत ग्राम मंझेवला तहसील पुष्कर जिला अजमे[illegible] भूमि के वर्तमान खसरा नं. 376 के उत्तरी दिशा की तरफ डो[illegible] उसको पु[illegible]र्किंग खसरा सं. 2379 नक्शा ट्रेस की भांति दर्शाने या नक्श[illegible]स मे दुरूस्त कर त[illegible]किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

06.10.21

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:20:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी ने उल्लेख किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात ग्राम मझेवला तहसील पुष्कर में अवस्थित है जिसका वर्णन वर्किंग व आधारभूत जमाबंदी के अनुसार निम्न प्रकार है–

| वर्किंग ख. सं. | रकबा | आ.ख.सं. | रकबा |
|---|---|---|---|
| 2379 मि. | 1.00 | 376 | 1.00 |
| 2380 | 0.75 | 377 | 0.75 |
| 2381 | 1.61 | 378 | 1.61 |
| 2379 मि. | 0.01 | 376 / 569 | 0.01 |

परन्तु दौराने बन्दोबस्त की कार्यवाही में प्रार्थी की खातेदारी भुमि के आधारभूत नक्शा ट्रेस मुर्तिब करते समय आधारभूत ख.नं. 376, 377, 378, 376 / 569 के उत्तर दिशा में स्थित खसरा संख्या 376 के उत्तरी दिशा की तरफ की सीमा से कुछ दूरी पहले प्रार्थी की आराजी के बीच में समान्तर चिन्ह मुर्तिब कर दिये गये है जबकि आधारभूत खसरा सं. 376 वर्किंग खसरा सं. 379 से मुर्तिब किया गया है और वर्किंग खसरा नं. 2379 के नक्शा ट्रेस में किसी भी प्रकार का चिन्ह मुर्तिब नहीं है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया।

पैरोकार सरकार / तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक / तह.पुष्कर / कोर्ट / 2021 / 1924 दिनांक 21.09.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि " **ग्राम मझेवला के वर्तमान खसरा नम्बर 376, 377, 378, 376 / 569 नेमीचन्द पुत्र नाथुलाल हि. पूर्ण सा. देह खातेदार के नाम था। माननीय न्यायालय आदेश की पालना में नामा0 सं0 233 दिनांक 10.10.2019 से ख0नं0 376 की तरमीम से नवीन ख0नं0 655 / 376 बना तथा नवीन ख0नं0 654 / 376 किस्म गै.मु.रास्ता बना। उक्त रास्ता सिवायचक दर्ज है।** वर्तमान ख0नं0 655 / 376 [illegible] के सहारे–सहारे वर्तमान राजस्व मानचित्र में डॉटेड लाईन बनी हुयी है। उक्त [illegible] लाईन वर्किंग मानचित्र में अंकित नहीं है। प्रार्थी ने वर्तमान नक्शे में वर्किंग न[illegible]सार डॉटेड लाईन हटवाने हेतु प्रकरण पेश किया है। चूंकि उक्त डाटेड लाईन से लगते हुए श्रीमान द्वारा रास्ता दर्ज करने के आदेश की पालना में नामा. सं. 233 दिनांक 10.10.19 के रास्ता तरमीम कर दिया गया है। उक्त डोटेड लाईन से लगते हुए नवीन रास्ता दर्ज हो जाने के कारण उक्त डाटेड लाईन का कोई महत्व नहीं रह जाता हैं। वर्तमान राजस्व नक्शे के ख0नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:20:27 IST
Reason: SelfAttested

655/376 की पूर्वी मेड़ के सहारे अंकित डोटेड लाईन को राजस्व मानचित्र से हटाया जाना उचित है।"

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम मझेवला तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान खसरा नं. 376 के उत्तरी दिशा की तरफ डोटेट चिन्ह को तर्क किया जाकर उसको पुनः वर्किंग खसरा सं. 2379 नक्शा ट्रेस की भांति दर्शाने या नक्शा ट्रेस मे दुरूस्ती करना, न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

## –:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–131 सपठित धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मझेवला, तहसील पुष्कर के वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अवस्थित आराजी कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व नक्शे के ख.न. 655/376 की पूर्वी मेड़ के सहारे अंकित डोटेड लाईन को राजस्व मानचित्र से हटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

06.10.21

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:20:27 IST
Reason: SelfAttested